Serial No. 2556   Circle:-:NA   Book No. :- 4   Deed No. 12

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये   ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000   Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

AF 813704

Serial No. 2556

Deed No. 12

Govt. of Bihar

District Registry Office ,Arwal

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **07/09/2020** by **Dharmendra Kumar**

A Stamp Duty of Rs. **5000**/- and other Fees of Rs. **4500**/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. **12** in Book No. **4**, Volume No. **1** on pages from **131** to **149** and has been preserved in total **19** pages in C.D. No. **1** / Year **2020**

बिहार सरकार

Signature with Date

(Udaykant Mishra)

Registering Officer, **Arwal**

Date: 07/09/2020   Token No: 2609/2020

Harvansh Kumar
Manager
Delhi Public School
Arwal

D Kumar
Principal
Delhi Public School
Arwal

डी0पी0एस0 एजुकेशनल ट्रस्ट

यह न्यास आज दिनांक 03 सितम्बर सन् 2020 को स्थान –अरवल बिहार में निष्पादित किया गया । इस ट्रस्ट के संस्थापक श्री धर्मेन्द्र कुमार, उम्र– 37 वर्ष, पिता– श्री रामाशीष सिंह , ग्राम –करवा हंकार, पोस्ट–वाजीतपुर, थाना– करपी, जिला– अरवल, बिहार के संस्थापक है जो कि ट्रस्ट के संस्थापक / ट्रस्टी सदस्य के नाम से जाने जायेंगे ।

जिला निबंधक

Arwal

District Registry Office,Arwal

...umber 2609 | Reg. Year 2020 | Serial Number 2556 | Deed Thumb...

Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring
Dharmendra Kumar धर्मेन्द्र कुमार 07/09/20					
Dharmendra Kumar धर्मेन्द्र कुमार 07/09/20					
Kumar Sarvesh Nandan Kumar Sarvesh Nandan 07/09/20					
Mundrika Kumar Mundrika Kumar 07/09/2020					
Nalesh Kumar नलेश कुमार 7/9/020					
Ranjan Kumar रंजन कुमार 07/09/2020					
Arbind Kumar Sinha अरविन्द कुमार सिन्हा 07/09/020					

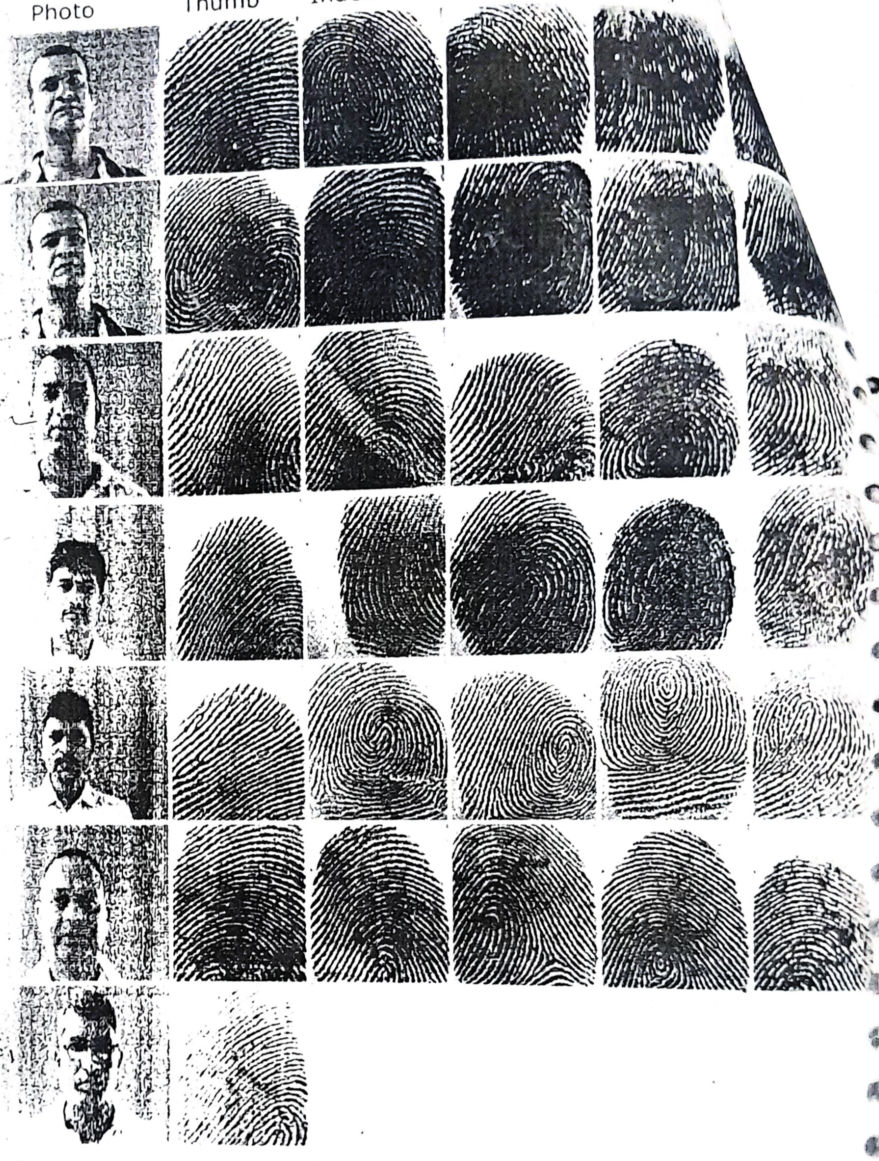

जिला अवर निबंधक
अरवल

धर्मेन्द्र कुमार
07/09/20

Scanned with ACE Scanner

हमारा हार्दिक अभिलाषा है कि समाज में सुख शांति, संगठन, सद्‌भाव एवं विश्वास के साथ गुणों की स्थापना हेतु न्यास की स्थापना की जाए तथा उपर्युक्त उदेश्यों की पूर्ति हेतु आवष्यक समस्त साधनों का संग्रह किया जाय । इसके निमित प्रारम्भ मुद्रा 200000/–रूपया(दो लाख रूपया) मात्र प्रदान करते हैं जो कि मैं निष्पादनकर्त्ता आजीवन संस्थापक के रूप में कार्यरत रहेंगे ।

---

1. न्यास का नाम :– डी0 पी0 एस0 एजुकेशनल ट्रस्ट
   D.P.S. EDUCATIONAL TRUST

2. न्यास का पंजीकृत कार्यालय :– ग्राम– रोजापर (अरवल)
   पोस्ट– अरवल
   थाना– अरवल
   थानानं0 19
   वार्डनं0 9
   अंचल– अरवल
   जिला–अरवल
   पिन–804401 बिहार

3. न्यास का कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण भारतवर्ष ।

4. न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या :– न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या कम से कम पॉच और अधिक से अधिक जितने ट्रस्टी सदस्य बन सकेंगे ।

Manager
Delhi Public School
Arwal

जिला अवर निबंधक
अरवल

Principal
Delhi Public School
Arwal

04/09/2020

Scanned with ACE Scanner

5. न्यास का गठन :–

क्र0सं0	नाम,पिता / पति का नाम	पता	पद
1.	धर्मेन्द्र कुमार, उम्र 37 वर्ष पिता श्री रामाशीष सिंह मो0 नं0 9304059848	ग्राम– करवा हंकार पोस्ट– बाजीतपुर थाना–करपी जिला –अरवल	संस्थापक अध्यक्ष सह न्यासी
2.	मुन्द्रिका कुमार उम्र 35 वर्ष पिता श्री रामाअशीष सिंह मो0 7739707167	ग्राम– खोखड़ी पोस्ट– हसनपुर थाना–अरवल जिला –अरवल	सचिव सह न्यासी
3.	कुमार सर्वेश नन्दन उम्र 41 वर्ष पिता बैजनाथ प्रसाद मो0 नं0 9973253597	ग्राम– न्यू कॉलोनी छोटकी डेल्हा पोस्ट– रेलवे स्टेशन थाना –डेल्हा जिला– गया	कोषाध्यक्ष सह न्यासी
4.	निलेश कुमार उम्र 33 वर्ष पिता श्री भुनेश्वर शर्मा मो0 नं0 6299131334	ग्राम– प्रशुरामपुर पोस्ट–परासी थाना–परासी जिला –अरवल	सदस्य सह न्यासी
5.	रंजन कुमार उम्र 35 वर्ष पिता श्री रामएकवाल सिंह मो0 नं0 7739941405	ग्राम– मोथा पोस्ट–भदासी थाना–अरवल जिला –अरवल	सदस्य सह न्यासी

धर्मेन्द्र कुमार
04/09/20

Harvansh Kum

Manager
Delhi Public School
Arwal

D kumar

Principal
Delhi Public School
Arwal

उपर्युक्त समस्त न्यासी न्यास की उदेश्य की पूर्ति के लिए संस्थापक अध्यक्ष के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते हैं ।

न्यास का लक्ष्य एवं उदेश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिए होंगे और इसके आय से बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग की जायेगी । इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रित हो ।

न्यास का ज्ञापन

1. न्यास का नाम :– डी0पी0एस0 एजुकेशनल ट्रस्ट
D.P.S EDUCATIONAL TRUST

2. न्यास का पंजीकृत कार्यालय :– ग्राम– रोजापर (अरवल)
पोस्ट– अरवल
थाना– अरवल
अंचल– अरवल
जिला–अरवल
पिन–804401 बिहार

3. ट्रस्ट ध्येय एवं उदेश्य :–

1. ट्रस्ट द्वारा समाज में व्याप्त निरक्षरता के उन्मूलन हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा । सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान का संचालन किया जायेगा । जिससे मेघावी गरीब छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित करना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण में मदद करना ।

2. ट्रस्ट द्वारा आई0 टी0 आई0 (एन0सी0वी0टी0) पारा मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज , मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, बी0 एड0 कॉलेज, निर्सिंग इन्स्टीच्यूट (ए0एन0एम0)आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशनल इन्सटीच्यूट ,पोलिटेकनिक कॉलेज , प्राथमिक / उच्च प्राथमिक , माध्यमिक / सहउच्चतर माध्यमिक तथा डिग्री कॉलेज , फार्मेसी कॉलेज का संचालन किया जायेगा । सभी प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय / महाविद्यालय का संचालन किया जायेगा ।

Harvansh Kum
Manager
Delhi Public School
Arwal

Principal
Delhi Public School
Arwal

Scanned with ACE Scanner

3. समाज के गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों, आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना ।

4. शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वालम्बी बनाने हेतु टंकण कला, आशुलिपि, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स, मेडिकल एवं अन्य तकनीकी, गैर तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना ।

5. समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल विवाह, वेश्यावृति, दहेज प्रथा, नशाखोरी, सम्प्रदाय वाद इत्यादि की समाप्ति करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, शिविर, पदयात्रा, प्रतियोगितायें आदि का आयोजन करना । आर्दश विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह का प्रोत्साहित करना ।

6. प्राकृतिक आपदा एवं अन्य आपातकाल में अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना । प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित जन समुदाय को हर संभव सहयोग करना ।

7. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एंव अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना । ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना । लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना ।

8. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना । पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन, वितरण एवं संग्रह करना । नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य का प्रशिक्षण देना ।

9. लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना । परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर एवं अन्य स्वस्थ्य शिविर का आयोजन करना । असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी० बी०, कालाजार, हेपटाईटिस आदि से बचने हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना । अस्पृश्यता निवारण हेतु व्यापक स्तर पर कार्य करना ।

Manager
Delhi Public School
Arwal

जिला अवर निबंधक

Principal
Delhi Public School
Arwal

10. समाज के गरीब एवं निःसहाय लोगों के आर्थिक , विकास हेतु लघु उद्योग कुटीर उद्योग , गृह उद्योग , खादी ग्रामोंधोग , मत्स्यपालन , मधुमक्खीपालन , रेशमकीट पालन , पशुपालन डेयरी उद्योग फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना ।

11. उर्जा के संरक्षण हेतु बायो गैस प्लांट , सौर उर्जा के गैर पारम्परिक श्रोतों की जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना ।

12. पंचायती राज , व्यस्क मताधिकार मानवाधिकार उपभोक्ता संरक्षण आदि के बारे में लोगो को जानकारी देना एवं जागरूक करना ।

13. नेत्रहीन , मूक बधिर , शारीरिक रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से अर्द्धविकसीत बच्चों , लोगों के शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र संचालन करना । उनके लिए कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन करना । विकलांगता के रोकथाम हेतु कार्य करना ।

14. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद वर्मी कम्पोस्ट , सिचाई के उपर्युक्त साधन, जलछाजन, जलसंचयन, नलकूप, तालाब, पोखरा आदि उपलब्ध कराना । औषधीय पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना ।

15. बेसहारा पशुओं की समुचित देख–रेख एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना एवं रक्षा हेतु अभियान चलाना ।

Manager
Delhi Public School
Arwal

जिला अवर निबंधक अरवल

Principal
Delhi Public School
Arwal

Scanned with ACE Scanner

16. अनाथ बच्चों वृद्धों , विधवाओं , वेश्याओं , प्रताड़ित , परित्यक्ता , असहाय लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यो का संचालन करना । उनके लिए आश्रय स्थल, भोजन , शिक्षा , चिकित्सा , आदि उपलब्ध कराना । बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना । उनके उच्च शिक्षा भोजन एवं पुनर्वास , कार्यक्रमों का संचालन करना एवं पुनर्वास सेवागृह की ब्यवस्था कराना ।

17. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुख विकास हेतु महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह , पालना गृह , पौष्टिक आहार केन्द्र , महिला सशक्तिकरण आदि कार्यक्रमों का संचालन करना ।

18. महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई , कटाई , बुनाई , पेंटिग , मधुबनी पेन्टिंग, एपलिक , सौन्यर्थ एवं प्रसाधन एवं अन्य ब्यवसायिक प्रशिक्षण देना एवं स्वालम्बी बनाने में मदद करना ।

19. राष्ट्रीय एकता , आपसी सद्भावना , धर्म निरपेक्षता के लिए लोगों को जागरूक करना । जातीय भेद भाव को समाप्त करने हेतु सभी प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना ।

20. वरिष्ठ नागरिकों की समस्यायों का निदान एवं स्वस्थ मनोरंजन की ब्यवस्था करना ।

21. समाज के असहाय वृद्धों की सेवा हेतु सेवाश्रम बनाना तथा उनकी देख–रेख एवं सेवा करना ।

Manager
Delhi Public School
Arwal

Principal
Delhi Public School
Arwal

डी0पी0एस0 एजुकेशनल ट्रस्ट
की
नियमावली

1. परिभाषाएँ

क– न्यास का नाम :– डी0पी0एस0 एजुकेशनल ट्रस्ट

ख– न्यास का ट्रस्टी :– संस्थापक/न्यासकर्ता इस न्यास के मुख्य न्यासी होंगे ।

ग– मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी :– संस्थापक/न्यासकर्ता इस न्यास के मुख्य कर्मचारी पदाधिकारी होंगे।

घ–पदाधिकारी :– संस्थापक/न्यासकर्ता सचिव एवं कोषाध्यक्ष न्यास के पदाधिकारी होंगे।

ड़– प्रबंध समिति :– पदाधिकारी सहित दो अन्य सदस्य प्रबंध समिति के सदस्य होंगे ।

च– वर्ष :– :– 01 अप्रैल से 31 मार्च तक ।

छ– एक्ट :– ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत ।

2. सदस्यता

ट्रस्ट की सदस्यता के लिए आवेदन संस्थापक/न्यासकर्त्ता के पदनाम आवश्यक सदस्यता शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य होगा । सदस्यता प्रदान करने के लिए संस्थापक/न्यासकर्त्ता को अनुमति/स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा । सदस्यता पाँच प्रकारका होगा –

1. न्यासी सदस्य :– संस्थापक अध्यक्ष ट्रस्टी सचिव, ट्रस्टी कोषाध्यक्ष।
2. साधारण :– कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुश्त 21 रूपये जमा कर वे न्यास के साधारण सदस्य हो सकते है।
3. स्थाई सदस्य :– कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी और सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुश्त 101 रूपये जमा कर वे न्यास के स्थायी सदस्य हो सकते है।

Harvansh Kr

Manager
Delhi Public School
Arwal

D Kumar

Principal
Delhi Public School
Arwal

Scanned with ACE Scanner

4. संस्थागत सदस्य :— कोई भी संस्था जो न्यास के ~~~ की गई है वे 501/—रूपये अदा कर न्यास के संस्थागत सदस्य बन सकते हैं ।

5.संस्थापना सदस्य :— जो सदस्य न्यास की स्थापना में सहायता किये हो और स्मृत पत्र पर हस्ताक्षर अंकित हो वे संस्थापक सदस्य कहें जायेगें और सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुस्त 1001/—रूपया जमा करने होगें ।

सदस्यता की समाप्ति/विमुक्ति

1. स्वयं त्यागपत्र देने पर ।
2. दिवालिया या पागल होने पर ।
3. न्यास के उधेश्य के विपरीत कार्य करने पर ।
4. न्यास के नियमों विनियमों के उल्लंघन करने पर विपरीत आचरण पर
5. प्रबंध समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर संस्थापक द्वारा निष्काषित करने पर ।
6. संस्थापक/न्यासकर्त्ता द्वारा निष्काषित करने पर ।

न्यास का प्रबंधन :—

न्यास का प्रबंधन संस्थापक सह मुख्य न्यासी द्वारा गठित प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें पदाधिकारी सहित चार सदस्य होगे । प्रबंध समिति का कार्यालय 3 वर्षो का होगा किन्तु आवश्यक्ता पड़ने पर या विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर संस्थापक/न्यासकर्त्ता को यह अधिकार होगा कि वे नया प्रबंध समिति गठित कर लें विशेष परिस्थिति में प्रबंध समिति में किसी रिक्ती को भरने का अधिकार संस्थापक सह मुख्य न्यासी को होगा जो शेष अवधि के लिए मनोनित किये जायेंगे ।

न्यास के उदेश्य के पूर्ति के लिए न्यास के अधिकार निम्नलिखित होगें :—

1. दान , चंदा , अनुदान , ऋण , सदस्यता शुल्क , सहयोग और सरकार से प्राप्त करना और जनहित में कार्यक्रम संचालित करना ।

Manager
Delhi Public School
Arwal

Principal
Delhi Public School
Arwal

Scanned with ACE Scanner

2. समय–समय पर न्याय के कोष/निधि का उपयोग न्यास के उदेश्य की पूर्ति हेतु करना ।

3. न्यास के सम्पति में वृद्धि करने का उपाय करना और न्यास के निधि का उपयोग शेयर, स्टॉक एवं अन्य जमा पूँजी में निवेश करना या राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर, एच0 डी0 एफ0 सी0/आई0 सी0 आई0 सी0 आई0/ मल्टीनेशनल बैंक में खाता खोलकर जमा करना ।

4. न्यास की उदेश्य की पूर्ति हेतु राजीव गाँधी फाउण्डेशन बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, नवार्ड , कपार्ट, विश्व बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, अन्तराष्ट्रीय संगठनों,विश्व स्वास्थ्य संगठन या संगठनो से दान अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना ।

5. न्यास के कोष/निधि का उपयोग समाज के उत्थान एवं उनकी कल्याण के कार्यक्रमों में प्रयोग किया जायेगा ।

6. न्यास के कोष/निधि से अर्जित चल/अचल सम्पति किराये/लिज/पट्टे पर लेना एवं देना ।

7. न्यास के नाम से बचत / चालू /आवर्ती जमा / अनावर्ती जमा खाता खोलना और न्यास का कोष संचित करना और खाता का संचालन संस्थापक / न्यासकर्त्ता या उनके द्वारा अधिकृत न्यासी के हस्ताक्षर से करना और समय – समय पर संशोधन हेतु बैंक / डाकघर को सूचित करना ।

8. न्यास की प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधि / परामर्श दाता नियुक्त करना / अधिकृत करना ।

9. न्यास के उदेश्य की पूर्ति पूर्ण कालिन / अंशकालिन , वैतनिक/ अवैतनिक , अधिकारियों /लापरवाही के लिए दंडित करना और नियुक्ति रद्द करना ।

10. न्यास की उदेश्य और नियमावली मं आवश्यकता नुसार संशोधन करना ।

11. किसी अन्य न्यास/ट्रस्ट/संगठन/संस्थान में सम्बन्ध होना, संबद्ध करना और उदेश्य की पूर्ति करना ।

12. न्यास का स्थानान्तरण/हस्तानान्तरण करना या देना ।

Harvansh Kum

Manager
Delhi Public School
Arwal

D Kumar

Principal
Delhi Public School
Arwal

Scanned with ACE Scanner

13. न्यास की सम्पति कोष/निधिसमान उदेश्य वाले संस्थान/स्वैच्छिक संगठन न्यास/ट्रस्ट को देना ।

14. न्यास के उदेश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार समाज के कल्याणार्थ राज्य/जिलों/प्रखण्ड/पंचायत शाखा समिति गठित करना और उदेश्य के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करना और राज्य/केन्द्र सरकार को कार्यक्रम संचालन में सहयोग प्रदान करना ।

15. न्यास के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय–व्यय लेख का अंकेक्षण करना और अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

16. न्यास के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना और प्रबंध समिति गठित करना ।

17. न्यास की सदस्यों की संख्या कम से कम 3 होगी और अधिक से अधिक पॉच होगी ।

18. संस्थापक/न्यासकर्त्ता को अतिरिक्त न्यासी को मनोनित करने का अधिकार होगा । उनका कार्यकाल संस्थापक/न्यासकर्त्ता द्वारा तय किया जायेगा ।

19. संस्थापक/न्यासकर्त्ता को समय–समय पर नियम बनाने परिवर्तन और संशोधन का अधिकार होगा । न्यासी के बैठक में कोरम न्यासी की उपस्थिति से होगा एवं सभी निर्णय संविधान के अन्तर्गत लिए जायेंगे।

5. प्रबंध न्यास का निर्वाचन :–

न्यास प्रबंध समिति का निर्वाचन प्रत्येक तीन वर्षो पर होगा । प्रबंध समिति का गठन निबंधन के पश्चात निर्वाचन के आधार पर होगा

6. प्रबंध न्यास का अधिकार :–

पॅाच सदस्य संस्थापक सदस्य से निर्वाचित किये जायेंगे । शेष तीन सदस्य, साधारण सदस्य, संस्थागत सदस्य और स्थायी सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे ।

Harvansh Kumar
Manager
Delhi Public School
Arwal

जिला अवर निबंधक अरवल

Principal
Delhi Public School
Arwal

Scanned with ACE Scanner

7. पदाधिकारी के अधिकार एवं कर्त्तब्य :—

संस्थापक अध्यक्ष

1. संस्थापक अध्यक्ष सर्वोच्च पदाधिकारी सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे ।

2. न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार करना ।

3. न्यास के कार्यो की समीक्षा करना ।

4. न्यासी एवं प्रबंध न्यास की बैठक के लिए सूचना देना ।

5. न्यास के लिए अतिरिक्त संसाधन सृजित करना ।

6. आवश्यकता पड़ने पर निर्णासियक मत देना या विवादग्रस्त परिस्थिति मतें संस्थापक/न्याकर्त्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। उनके निर्णय को कोई चुनौती नहीं दी जायेगी ।

7. न्यास के सभी कार्य उनके प्रशासनिक कार्य के अन्तर्गत हीं किया जायेगा ।

8. संस्थापक अध्यक्ष जब चाहे प्रबंध न्यास के सदस्य की सदस्याता को रद्द करने का अधिकार होगा और उनका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा ।

9. संस्थापक अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे जब चाहे न्यास का विघटन कर सकें ।

10. न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की हैसियत से न्यारा के दैनिक प्रशासन से संबंधित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकार के अधीन रह कर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

11. न्यास के सभी आलेखों को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना ।

12. न्यास के सभी बैठकों का आयोजन करना तथा सचिव के प्रामर्श से बैठकों के लिए एजेन्डा / कार्यक्रम बनाना ।

13. न्यास के समस्त आय — व्यय का लेखा जोखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण करना एवं वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।

Harvansh Kar
Manager
Delhi Public School
Arwal

Principal
Delhi Public School
Arwal

14. न्यास की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देना एवं योजना समितियॉं / प्रबंध समिति /के समक्ष उपस्थित करना तथा न्यास के विकास हेतु देश–विदेश में प्रतिनिधित्व करना ।

15. बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों के अनुरूप कार्य संम्पादित करना/अनुपालन करना ।

16. न्यास के कार्यक्रमों, कार्यो के सम्पादन हेतु अधिकारियों /कर्मचारियों की नियुक्ति करना या कार्य मुक्त करना ।

17. आवश्यक कार्य हेतु प्रबंध समिति की बिना पूर्व स्वीकृति के 10,000/–दस हजार रूपया तक खर्च करना ।

18. राष्ट्रीय/राज्य/जिला शाखा के कार्यो का पर्वेक्षण करना ।

ट्रस्टी सचिव

सचिव न्यास की एकता का प्रतिक होगा और न्यास की प्रतिष्ठा, सुरक्षा , पवित्रता और समग्रता का प्रहरी होगा । आम–सभा , प्रतिनिधि सभा , असाधारण आम सभा , प्रबंध न्यास तथा किसी न्यास उप न्यास की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और किसी प्रस्ताव पर बराबर मतदान की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होगा सामान्या स्थिति में न्यास के आवश्यक कार्यो को सम्पन्न करेगा ।

ट्रस्टी कोषाध्यक्ष

न्यास के कोष रोकड़ और बैंक पास बुक को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व कोषाध्यक्ष को होगा । अधिक से अधिक पॉंच हजार रूपये तक न्यास के कार्यो के लिए कोषाध्यक्ष अपने पास रखेंगे । परन्तु इससे अधिक धनराशि जमा होने पर डाकघर या बैंक (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक) में न्यास के नाम से जमा करना कोषाध्यक्ष का दायित्व होगा । जमा कोष से रूपये की निकासी संस्थापक अध्यक्ष , ट्रस्टी सचिव एवं ट्रस्टी कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा जिसमें संस्थापक अध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा ।

Manager
Delhi Public School
Arwal

Principal
Delhi Public School
Arwal

प्रबंध समिति के निम्नलिखित अधिकार एवं कार्य होंगे :–

(क) न्यास के सभी चल–अचल सम्पतियों की सुरक्षा एवं सुचारु प्रबंध के लिए उत्तरदायी रहना ।

(ख) न्यास के उदेश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम के क्रियान्ववयन के लिए आम सभा की स्वीकृति प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना ।

(ग) समान उदेश्यों को ट्रस्ट , स्वैछिक संगठन के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना सम्बद्धता प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आश्यक कार्य करना ।

(घ) जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/पंचायत शाखा हेतु व्यय के लिए धन राशि का आवंटन करना ।

(ङ) प्रबंध न्यास प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगी

(च) स्दस्यता के लिए आवेदन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

(छ) किसी सदस्य जिनका चरित्र उदेश्यों की कुठाराधात पहुँचाता हो उसे सदस्यता से वंचित करना / विमुक्त करना ।

(ज) न्यास के उदेश्यों की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यक एवं हितकर हो उसे करेगी ।

प्रबंध न्यास बैठक :–

(1) साधारण सभा के लिए कम से कम सात दिन असाधारण सभा के लिए तीन और आपातकालीन बैठक के लिए एक दिन पूर्व की सूचना दिया जाना आवश्यक होगा ।

(2) प्रबंध न्यास की बैठक प्रत्येक तीन महीने में एक बार होगी ।

(3) बैठक में कुल सदस्यों की एक तीहाई उपस्थिति को कोरम माना जायेगा ।

(4) स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यक्ता नहीं होगी । किन्तु प्रथम सूचना के बाहर किसी विषय पर विचार नहीं किया जायेगा ।

Harvansh Kr

Manager
Delhi Public School
Arwal

D Kumar

Principal
Delhi Public School
Arwal

Scanned with ACE Scanner

आम सभा :–

प्रबंध न्यास द्वारा निश्चित तिथि , समय तथा स्थान पर वार्षिक आम सभा प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी जिसकी पूर्व सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जायेगी । आम सभा के निम्नलिखित कार्य होंगे ।

(1) पिछली बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट करना ।

(2) वार्षिक प्रतिवेदन का स्वीकृति प्रदान करना ।

(3) न्यास के कार्यो की समीक्षा करना ।

(4) अंकेक्षित आय–व्यय लेखा पर विचार करना एवं स्वीकृत प्रदान करना

(5) अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

(6) आगामी वर्ष के लिए आय–व्यय का बजट तैयार करना एवं स्वीकृत प्रदान करना ।

(7) आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित निर्धारित करना ।

(8) पूर्व सूचना प्राप्त किसी प्रस्ताव पर संस्थापक अध्यक्ष, ट्रस्टी सचिव की अनुमति से विचार करना ।

04/09/20

असाधारण बैठक :–

संस्थापक अध्यक्ष के द्वारा तीन दिन पूर्व की सूचना पर निम्नांकित अवस्था में असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है ।

1. आवश्यकतानुसार संस्थापक अध्यक्ष की सलाह पर ।
2. कुल सदस्यों की दो तिहाई सदस्यों के द्वारा बैठक की मांग किये जाने पर ।
3. सभा / बैठक का कार्यप्रणाली का नियम संस्थापक अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार होगा और संस्थापक अध्यक्ष के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जायेगी ।
4. आम सभा के बैठक की सूचना 30 दिन पूर्व दी जायेगी ।
5. प्रबंध समिति के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी ।
6. बैठक की सूचना निबंधित डाक, पंजी या विशेष दूत द्वारा दी जायेगी।

Harvansh Kum
Manager
Delhi Public School
Arwal

जिला अवर निबंधक अरवल

D Kumar
Principal
Delhi Public School
Arwal

Scanned with ACE Scanner

मतदान :—

साधारण मतदान हाथ उठाकर खुलेआम किया जायेगा । किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान / हाथ उठाकर खुलेआम किया जायेगा किसी असाधारण परिस्थिति में प्रबंध न्यास की अनुमति लेकर संस्थापक / न्यासकर्त्ता द्वारा मतदान की व्यवस्था हो सकती है ।

कार्यकाल :—

पदाधिकारियों एवं प्रबंध न्यास के सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ताकि उन्हें पुनः निर्वाचित होने में कोई बाधा नहीं रहेगी ।

रिक्त पदों की पूर्ति :—

प्रबंध न्यास में कोई भी पद किसी भी कारण रिक्त हो जाने पर अवशिष्ट कार्यकाल के लिए संस्थापक अध्यक्ष किसी भी अन्य सदस्य का मनोनयन कर सकते हैं ।

आय का स्रोत:—

न्यास के आय के निम्नलिखित स्रोत होंगे ।

(क) प्रवेश शुल्क
(ख) सदस्यता शुल्क
(ग) आजीवन सदस्यता शुल्क
(घ) दान एवं चन्दा
(ङ) अनुदान
(च) ऋण
(छ) उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से चेरिटी शो के आयोजन / शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से ।
(ज) संबद्धता शुल्क एवं अन्य शुल्क
(झ) विघटित संस्थान, संस्था एवं न्यास के कोष की प्राप्ति से प्राप्त कर ली जायेगी ।

Harvansh Kumar
Manager
Delhi Public School
Arwal

Principal
Delhi Public School
Arwal

Scanned with ACE Scanner

निबंधन जब चाहें न्यास का अंकेक्षण कर सकते हैं जिसका खर्च न्यास वहन करेगी ।

कोरम :–

आम सभा / प्रबंध समिति की बैठक का कोरम सदस्य न्यास के 2/3 भाग का होगा ।

न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधन :–

न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली में समावेश एवं संशोधन मुख्य न्यासी द्वारा साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष लिया जायेगा ।

कानूनी कार्यवाही :–

किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का क्षेत्राधिकार अरवल व्यवहार न्यायालय होगा ।

ट्रस्ट की समाप्ति :–

ट्रस्ट के खत्म होने की स्थिति में ट्रस्ट की सारी सम्पत्ति समान उद्श्यों बाले किसी अन्य ट्रस्ट को अंतरित कर दी जायेगी ।

गवाह:–

अरविन्द कुमार सिन्हा
पिता- रामपरीक्षण सिंह
ग्राम- करवा इंग्लार
थाना- करपी
जिला- अरवल
04/09/2020

Manager
Delhi Public School
Arwal
4.9.2020

जिला अवर निबंधक अरवल

धर्मेन्द्र कुमार
07/09/20

D Kumar
Principal
Delhi Public School
Arwal

Scanned with ACE Scanner

Endorsement of Certificate of Admissibility

...ble under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the ...n Stamp Act, 1899. Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

...p duty paid under Indian Stamp Act **Rs. 5000/-**
...stamp duty paid under Municipal Act **Rs. 0/-**

Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	1000/-
Amt.paid through Bank Challan	Rs.	8500/-

Registration Fee

A1	4000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0	
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0	
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0	
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0	
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0			
								TOTAL-	**4000**	

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge

500

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - **4500**

Registering Officer
Arwal

Date: 07/09/2020

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Arwal on Monday, 07th September 2020 by Dharmendra Kumar ...shish Singh by profession Others. Status -

धर्मेन्द्र कुमार

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:07/09/2020**

Registering Officer
Arwal

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Arbind Kumar Sinha' age 39 Sex 'M', 'Ram Parikshan Singh', resident of 'Vill- Karwa Hankar ,p.S- Karpi ,arwal'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Arwal

Date : 07/09/2020

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Arwal in Book 4 Volume No. 1 on pages on 131 -149, for the year 2020 and stored in CD volume No. CD-1 year 2020 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Harvansh ku
Manager
Delhi Public School
Arwal

D kumar
Principal
Delhi Public School
Arwal

Registering Officer
Arwal

Date : 07/09/2020

Token No. : 2609 **Year : 2020 S.No. : 2556 SCORE Ver.4.1 Deed No. : d.No. : 1...**

Scanned with ACE Scanner